(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2044/पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.04.2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 17/निगरानी/2011-12.

---

1. सुभाष पिता अम्बाराम
2. चन्दाबाई पति बुद्धाजी
3. श्यामलाल पिता बुद्धाजी

क्र. 1 लगायत 3 निवासी- ग्राम गुरानी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. हरिनारायण पिता मांगीलाल

निवासी ग्राम गुरान, तह. सांवेर जिला इंदौर, म.प्र.

2. म.प्र. शासन

रा.नि. टप्पा क्षिप्रा तहसील सांवेर, जिला इंदौर, म.प्र. .....अनावेदकगण

3. हंजाबाई पति सीताराम
4. शंकर पिता ओंकर

क्र. 3 व 4 निवासी-ग्राम गुरान तह. सांवेर, जिला इंदौर, म.प्र. .....औपचारिक अनावेदकगण

श्री रूचिर पाराशर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर अपर कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित दिनांक 11.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 हरिनारायण की ग्राम गुरान तह. सांवेर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 66 के सीमांकन होने के पश्चात् अनावेदक क्र. 1 द्वारो आवेदकगण के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण द्वारा निवेदन किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमांकन किया गया है, वह उनकी अनुपस्थिति में किया गया है। उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा एक निगरानी अपर कलेक्टर, जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 17/निगरानी/2011-12 दर्ज कर दिनांक 11.04.2012 को आदेश पारित करते हुए निगरानी अस्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर कलेक्टर, जिला इंदौर के द्वारा संहिता की धारा 129 पर सही विचार न करते हुए निगरानी अस्वीकार करने में वैधानिक भूल की है।

(2) अपर कलेक्टर ने यह कारण बताकर आवेदकगण की निगरानी अस्वीकार की है कि 'यदि आवेदकगण को सीमांकन से आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाना चाहिए थी' सीमांकन संहिता की धारा 129 के अंतर्गत किया जाता है तथा सीमांकन के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है। केवल धारा 50 के अंतर्गत निगरानी ही एकमात्र उपचार है और दिनांक 10.06.2011 का होने से उसके विरूद्ध निगरानी का प्रथम विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर का न्यायालय है। इसी आधार पर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 11.04.2012 निरस्ती योग्य है।

(3) अपर कलेक्टर ने आवेदकगण की निगरानी अस्वीकार करने का यह भी तथ्य बनाया कि 'जब अधीनस्थ न्यायालय में निष्कर्ष समवर्ती हो तो पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता'। जब निगरानी का प्रथम विचारण न्यायालय ही अपर कलेक्टर का है तो उन्होंने कौन से दो अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष समवर्ती पाये।

(4) पंचनामा दिनांक 10.06.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि "पटवारी नक्शे एवं मौके का मिलान (खाली जगह) .....होता है। खाली जगह में पूर्ण" शब्द दूसरी राईटिंग में लिख दिया। दूसरी राईटिंग से यह बताया गया कि "रकबा 0.128 पर हंजाबाई पति सीताराम,

सुभाष पिता अम्बाराम, चन्दाबाई पति बुद्धाजी, श्यामलाल पिता बुद्धाजी, शंकर पिता ओंकार का कब्जा पाया गया, दूसरी राईटिंग में यह भी बताया कि मौके पर आवेदक (हरिनारायण) का रकबा 1.371 पाया गया''

उक्त पांच व्यक्तियों में किसका कितना भूमि पर कब्जा पाया यह भी स्पष्ट नहीं है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि स्थल पर कोई सीमांकन नहीं किया गया केवल अनावेदक हरिनारायण की इच्छानुसार पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन दे दिया।

(5) प्रतिवेदन दिनांक 10.06.2011 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उसमें भी दूसरी राईटिंग मे बाद में बढ़ाया गया है। राजस्व निरीक्षक ने उक्त प्रतिवेदन की कोई फील्ड बुक भी नहीं बनाई।

(6) अपर कलेक्टर पंचनामे का एक प्रारूप मानकर उसकी पूर्ति राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई है, यह मानकर उन्होंने निगरानी अस्वीकार की है। पंचनामे व प्रतिवेदन का कोई प्रारूप म.प्र. भू-राजस्व संहिता या उसके नियमों में निर्धारित नहीं है।

(7) नक्शे में ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की दूरियां लिखी हैं। वह प्रस्तुत नक्शे से भिन्न हैं। इस तथ्य पर तथा लिखित तर्क पर भी अपर कलेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया। अत: उनका आदेश दिनांक 11.04.2012 निरस्ती योग्य है।

(8) संहिता की धारा 129 तथा 44 धारा 129 के अधीन सीमांकन किया गया। धारा 44 के अंतर्गत कोई अपील नहीं होगी। इस संबंध में 1978 रा.नि. 393 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(9) आवेदकगण ने तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 27.05.2011 के पालन में राजस्व निरीक्षक टप्पा क्षिप्रा तहसीलदार द्वारा किये तथाकथित सीमांकन दिनांक 10.06.2011 के विरूद्ध अपर कलेक्टर, इंदौर के न्यायालय में निगरानी मय धारा 5 के आवेदन के साथ की थी और अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्र. 17/निगरानी/11-12 दर्ज कर विलंब माफ कर उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 11.04.2012 को आदेश इस आधार पर पारित कर आवेदक की निगरानी अस्वीकार की कि ''राजस्व मण्डल के न्याय दृष्टांत अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल रा.नि. 178 (श्री डी. सिंघई सदस्य राजस्व मण्डल) में प्रतिपादित किया गया है यदि आवेदक को सीमांकन से आपत्ति थी, तो उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाना थी, जब अधीनस्थ न्यायालय में निष्कर्ष समवर्ती हो, तो पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा

सकता। उक्त संबंध में 2005 रा.नि. 178 एवं 2005 रा.नि. 178(1) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(10)संहिता की धारा 129 सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। इस तर्क के संबंध में 1998 रा.नि. 106 माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(11)संहिता की धारा 129 सीमांकन विवादित सर्वेक्षण संख्याक की पूर्णतया माप नहीं की गई - निकट के सर्वेक्षण संख्याक की माप नहीं की गई - कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया - ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें दूसरा पक्षकार सूचित भी नहीं किया गया। इस संबंध में 2006 रा.नि. 218 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत है।

(12)धारा 50 तथा 129 पुनरीक्षण शक्तियों की व्याप्ति विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना सीमांकन आदेश अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों की वैधता का परीक्षण किया जा सकता है। इस संबंध में 1986 रा.नि. 1 माननीय उच्च न्यायालय एवं 2011 रा.नि. 389 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध एक निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो कि उनके द्वारा निरस्त की गई। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सीमांकन की यह दूसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया, उक्त सूचना पत्र पर आवेदक श्यामलाल के तामीली के हस्ताक्षर हैं। आवेदकगण द्वारा तर्क में लेख किया गया है कि आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई तथा बाले-बाले सीमांकन कराया गया है, जबकि सीमांकन के दौरान आवेदक श्यामलाल व शंकरलाल मौके पर उपस्थित थे। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सीमांकन का नोटिस तामील कराकर उनकी उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमांकन आदेश पारित किया गया है, अत: उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को अपर कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर विधिसंगत आदेश पारित किया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर